फैक्स/स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश
अनुभाग-4, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या- 3274/4-10 एम./2016 दिनांक -08-2016

विषय- चयन वर्ष 2015-16 के दौरान राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति न चाहने वाले लेखपालों से लिखित सहमति पत्र प्राप्त करके परिषद को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चयन वर्ष 2015-16 हेतु लेखपाल से [illegible] राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही गतिमान है। [illegible] 2014-15 में कतिपय लेखपाल राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति प्राप्त करने के पश्चात पदोन्नति का परित्याग कर दिये हैं जिससे राजस्व निरीक्षक के कई पद रिक्त रह गये हैं। यदि उक्त लेखपालों के द्वारा चयन के पूर्व पदोन्नति का परित्याग करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया होता तो पदोन्नति चाहने वाले कुछ अन्य पात्र कार्मिकों को राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो जाता।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि अपने जनपद के ऐसे लेखपाल जो चयन वर्ष 2015-16 में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए इच्छुक नहीं हैं, उनसे लिखित सहमति पत्र प्राप्त करके एक सप्ताह के भीतर परिषद को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि पदोन्नति के समय उनके प्रार्थना पत्र को चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत कर ऐसे कार्मिकों को पदोन्नति से पृथक करते हुए उनके स्थान पर अन्य कार्मिकों का चयन किया जा सके।

भवदीय,

(महेन्द्र सिंह)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त,
कृते आयुक्त एवं सचिव।